

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

राँची, दिनांक : 23-10-86

विषय :- विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की प्रणाली एवं व्यवस्था के संबंध में ।
विभाग के सभी वित्तीय पहलुओं पर नियंत्रण एवं अनुशासन रखने हेतु विभागीय सचिव को आवश्यक वित्तीय सलाह प्रदान करने के लिए विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की व्यवस्था लागू है । वित्त विभाग के संकल्प सं०-2046 / वि०-दि० 14.03.1986 द्वारा आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहायता हेतु उप आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की व्यवस्था की गई थी ।
यदिमान व्यवस्था के सरलीकरण का विषय सरकार के विचाराधीन था ।

2. सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि :-

(1) संकल्प सं०-2046 / वि० दि० 14.03.1986 में निहित उप-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार तथा वित्त विभाग के पदाधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा आन्तरिक वित्तीय सलाहकार को कार्य सम्पादन में सहायता प्रदान करने संबंधी प्रावधान को विलोपित किया जाय ।

(2) आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के रूप में विभाग के ही किसी विशेष / अपर संयुक्त / उप सचिव को वित्त विभाग द्वारा प्रशासी विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधिसूचित किया जायगा जिन्हें लेखा, बजट एवं कोषागार से संबंधित कार्यों का अनुभव हो तथा राज्य सचिवालय में कम-से-कम दो वर्षों तक पदस्थापित रहे हों । आन्तरिक वित्तीय सलाहकार वित्त विभाग के प्रति उत्तरदायी होंगे तथा प्रत्यायोजित शक्ति के अन्तर्गत प्रशासी विभाग को नियमानुकूल वित्तीय परामर्श देना उनका कर्तव्य होगा ।

3. आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का कार्य विभाग के सभी वित्तीय पहलुओं पर नियंत्रण एवं अनुशासन बनाये रखने में विभागीय सचिव को सहायता प्रदान करना होगा । वह प्रशासी विभाग के योजना, बजेटिंग, व्यय का अनुश्रवण यथा अधीनस्थ कार्यालयों से व्यय के मासिक आँकड़े का संकलन, विश्लेषण तथा विहित प्रपत्र में मासिक व्यय प्रतिवेदन तैयार करना, लेखा सत्यापन, पेंशन स्वीकृति का अनुश्रवण, भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति, प्रत्यायोजित शक्ति के अन्तर्गत कार्मिकों के सेवा विनियमन संबंधी मामलों में परामर्श तथा वित्तीय भार सन्निहित अन्य सभी मामलों में परामर्श संबंधी कार्यों का निष्पादन करेंगे ।

4. संलेख प्रारूप एवं स्वीकृतिप्रार्थना प्रारूप की जाँच विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा किया जाएगा तथा अब इस कार्य हेतु संचिका सामान्य तौर पर वित्त विभाग नहीं भेजी जाएगी

(3) परन्तु जहाँ किसी मामले में कार्यपालिका नियमावली के तहत वित्त विभाग का परामर्श आवश्यक होगा; वह संचिका में आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाएगा।

5. विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा वित्तीय स्वीकृतिपत्र प्राप्त की जाँच करते समय अन्य बातों के अलावे विशिष्ट रूप से निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाएगा :-

(i) बजट शीर्ष, वित्तीय वर्ष, स्वीकृत राशि अंक तथा अक्षरों में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तथा कोषागार / उपकोषागार का प्रारूप में उल्लेख।

(ii) बजट उपबंध, निर्माण सम्बन्धी योजना में तकनीकी एवं प्रशासनिक मंजूरी, खर्च की सक्षम स्तर से मंजूरी, पद सृजन के मामले में कार्यपालिका नियमावली के नियम - 35 का अनुपालन।

(iii) अनुदान की स्वीकृति के मामले में अनुदान की स्वीकृति का उद्देश्य और उनकी शर्त तथा अवधि सीमा जिसके भीतर अनुदान या उसकी हर किस्त खर्च होगी का उल्लेख। सामान्यतया किसी वित्त वर्ष में अनुदान का उतना ही हिस्सा स्वीकृत किया जाना चाहिए जितना की वर्ष के भीतर खर्च हो जाने की आशा हो तथा वित्त नियमावली के नियम-340-343 का अनुपालन हो।

(iv) ऋण स्वीकृति के मामले में ऋण स्वीकृति का उद्देश्य, शर्त एवं ऋण वापसी की किस्तों का उल्लेख।

(v) केन्द्र प्रायोजित योजना की स्वीकृति के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु विहित शर्त का उल्लेख।

(vi) सहाय्य अनुदान, वैयक्तिक अनुदान, ऋण एवं अग्रिम, किसी कार्यालय की प्रथम स्थापना एवं बिहार कोषागार संहिता भाग-II के परिशिष्ट-12 एवं 13 (खंड V एवं VII) से संबंधित मामलों में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध।

6. विभाग को प्रत्यायोजित शक्ति के भीतर निर्गत वित्तीय स्वीकृतिपत्र का महालेखाकार को वित्त नियमावली के नियम-67 के अनुसार सूचन का कार्य आन्तरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक माह में निर्गत की गई स्वीकृतिपत्र संबंधित सूचना से वित्त विभाग के पत्र के अनुसार वित्त विभाग को सूचित करने के पश्चात् ही अगले माह में स्वीकृतिपत्र निर्गत किया जायेगा।

7. विभागीय सचिव वित्तीय भार सन्निहित सभी मामलों में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का परामर्श प्राप्त करने के पश्चात् निर्णय लेंगे। परन्तु अगर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार विभागीय

विचार से सहमत नहीं हो तो उन कारणों को स्पष्ट करते हुए संचिका वित्त विभाग को पृष्ठांकित करेंगे। चूंकि आन्तरिक वित्तीय सलाहकार को शक्ति का प्रत्यायोजन विभागीय (वित्त) मंत्री के अनुमोदन से कार्यपालिका के नियमावली के नियम-38 के तहत निर्गत किया जा रहा है एवं इस प्रकार वित्तीय मामले में वित्त मंत्री ही विभागीय मंत्री होंगे।

8. विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष प्रत्यायोजित शक्ति तक वित्तीय भार सन्निहित निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होंगे तथा जिन मामलों में वित्तीय परामर्श की आवश्यकता होगी विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का परामर्श प्राप्त करेंगे।

9. वित्त विभाग द्वारा सभी विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकारों के साथ समय-समय पर आवश्यकतानुसार बैठक आयोजित कर वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण तथा वित्तीय सलाहकारों द्वारा कार्य सम्पादन में आनेवाली दिक्कतों के सन्दर्भ में मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा तथा उनके कार्यों की समीक्षा किया जाएगा।

10. विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियाँ विभागीय सचिव तथा वित्त सचिव दोनों ही लिखेंगे।

11. विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहायता हेतु आवश्यकतानुसार पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति प्रशासी विभाग द्वारा की जाएगी।

12. विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के कार्यालय में वित्तीय नियमों से संबंधित पुस्तकें तथा :- वित्त नियमावली, कोषागार संहिता, सेवा संहिता, बजट हस्तक, भविष्य निधि नियमावली, पेंशन नियमावली इत्यादि रखी जाएगी तथा निम्नलिखित आदेश अलग-अलग गार्ड फाइल में संघारित की जाएंगे :-

- (i) वित्तीय मामलों से संबंधित परिपत्र / संकल्प / आदेश इत्यादि।
- (ii) वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन संबंधी आदेश।
- (iii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृति आदेश।
- (iv) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभाग एवं विभागाध्यक्षों द्वारा निर्गत आवंटन आदेश।
- (v) प्रत्येक मांग / विनियोग के लिए विप्लव प्रपत्र में मासिक व्यय प्रतिवेदन।

13. विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकारों के कार्य सम्पादन के संबंध में दिए गए उपर्युक्त मार्गदर्शन दृष्टान्त स्वरूप है, अपने आप में विस्तृत नहीं है। विभागीय आन्तरिक वित्तीय

①

सलाहकारों द्वारा कार्यों का सम्पादन विभिन्न नियमों, परिनियमों, समय-समय पर प्रभावी आदेशों / परिपत्रों इत्यादि के आलोक में संतुष्ट होकर ही करना है।

14. विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प / आदेश / परिपत्र उपर्युक्त हद तक संशोधित समझा जाएगा।

आदेश :- इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों एवं प्रधान महालेखाकार बिहार एवं झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

23/10/2003
(दिवाशीष गुप्ता)

आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापक : वित्त-4-66/2003 2741/2 दिनांक : 23/10/03

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ माननीय वित्त मंत्री, के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव/ विकास आयुक्त के सचिव/ सरकार के सभी विभाग / विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

स. मुखोपाध्याय
(एस० मुखोपाध्याय)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापक : वित्त-4-66/2003 2741/2 दिनांक : 23-10-03

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

स. मुखोपाध्याय
(एस० मुखोपाध्याय)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापक : वित्त-4-66/2003 2741/2 दिनांक : 23-10-03

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसकी 250 प्रतियाँ वित्त विभाग प्रशाखा-4 को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

स. मुखोपाध्याय
(एस० मुखोपाध्याय)

8282 4 4/11/03
विशेष कार्य पदाधिकारी
प्रतिलिपि :- 3 प्रतियाँ प्रशाखा-4 को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- 3 प्रतियाँ प्रशाखा-4 को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।